

12/06/24

पत्रावली पेश हुई। कोई भी डफ  
 नहीं है। वादी का वाद गुरु वाद वादी  
 का अड. में अदम हाजरी के खासिय  
 जा उम है। शान्ति पर पत्रावली में  
 आगे कार्यवाही चलाना उचित नहीं है।  
 अतः पत्रावली अदम ~~अदम~~ हाजरी अदम  
 पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली  
 फंसल शुमार होकर नम्बर ले कम है  
 वाद पूर्ण शान्त दफ्तर होय गुरु वाद  
 के साथ सेलान रहे।



उपखण्ड अधिकारी  
 नरसिंह (कोटपुतली-बहरोडा)